

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी— पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 68/2020

जीसीएमएस नम्बर :- 2020/00144

1. रामोतार पुत्र भूरा
2. बदामी पत्नी स्व० भूरा
3. सुरेश देवी पत्नी बलबीर सिंह
4. एकता पुत्री बलबीर सिंह
5. मनीषा पुत्री बलबीर सिंह समस्त जाति अहीर निवासी सागा तह० बुहाना जिला झुंझुनूं  
.....वादीगण

बनाम

1. प्रकाश पुत्र चुन्ना
2. बुद्धा पुत्र माईराम
3. होशियार सिंह पुत्र प्रभात
4. नानडराम उर्फ सुखदेव पुत्र प्रभात
5. रोशन पुत्र प्रभात
6. राजेश पुत्र प्रभात
7. भीखाराम पुत्र चुन्ना
8. सुमेर पुत्र सम्पत नवीरा चुन्ना
9. योगेश पुत्र बलबीर सिंह समस्त जाति अहीर निवासीगण सागा तह० बुहाना जिला झुंझुनूं राज०
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं

.....प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन

—:निर्णय:—

दिनांक :- 3/1/25

वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम सागा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज० स्थित भूमि खाता संख्या 163 के ख० न० 203 रकबा 0.96 है०, ख० न० 258 रकबा 0.46 है०, ख० न० 259 रकबा 0.41 है०, ख० न० 318 रकबा 1.29 है०, ख० न० 319 रकबा 0.45 है० ख० न० 383 रकबा 1.15 है० ख० न० 418 रकबा 1.49 है० कुल किता 7 कुल रकबा 6.21 है० के खातेदार कास्तकार एकता पुत्री बलबीर हिस्सा 1/48, प्रकाश पुत्र चुन्ना हिस्सा 1/12, प्रभात पुत्र माईराम हिस्सा 1/4, बदामी देवी पत्नी स्व० भूरा हिस्सा 1/12, बुद्धा पुत्र माईराम हिस्सा 1/4, भीखाराम पुत्र चुन्ना हिस्सा 1/12, मनीषा पुत्री बलबीर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी—

पंकज शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:—68/2020

जीसीएमएस वाद संख्या : 2020/00144

रामोतार आदि बनाम प्रकाश आदि

दावा खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 9 श्री जगदेवसिंह यादव एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि —

“ न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सागा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० स्थित भूमि खाता स० 163 के ख० न० 203 रकबा 0.96 है० ख० न० 258 रकबा 0.46 है० ख० न० 259 रकबा 0.41 है० ख० न० 318 रकबा 1.29 है० ख० न० 319 रकबा 0.45 है० ख० न० 383 रकबा 1.15 है० ख० न० 418 रकबा 1.49 है० कुल कित्ता 7 कुल रकबा 6.21 है० भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 9 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-2” व नक्शा प्रदर्श “ब-1” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-2” व नक्शा प्रदर्श “ब-1” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-2” व नक्शा प्रदर्श “ब-1” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



41  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
जिला झुंझुनू (राज.) एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना